झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका

विज्ञापन संख्या– 08/2025

झारखण्ड इन्टरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा – 2025
(नियमित भर्त्ती)

JIGTSEATCCE-2025

Scanned with OKEN Scanner

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या – 5730 (अनु॰), दिनांक–25.09.2025 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) विभाग के पत्रांक–1877, दिनांक–24.09.2025 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में **झारखण्ड इन्टरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2025''** के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट www.jssc.jharkhand.gov.in पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्कः–

(क) परीक्षा शुल्क रू॰ 100/– (सौ रूपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट–झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू॰ 50/– (पचास रूपये) है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–8559, दिनांक–23.10.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

3. रिक्तियों का विवरण :–

(क) इन्टर प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा–1 से 5)

<table>
<tr><th rowspan="3">क्र॰ सं॰</th><th rowspan="3">जिला का नाम</th><th rowspan="3">आरक्षण कोटि</th><th></th><th colspan="6">पदों की संख्या</th></tr>
<tr><th rowspan="2">कुल</th><th colspan="6">कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण</th></tr>
<tr><th>महिला</th><th>खेलकूद कोटा</th><th>अंधापन और कम दृष्टि</th><th>बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता</th><th>चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी</th><th>स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1.</td><td rowspan="4">राँची</td><td>1.अनारक्षित</td><td>74</td><td>4</td><td rowspan="4">3</td><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">2</td></tr>
<tr><td>2.अनुसूचित जनजाति (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)</td><td>68</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3.अनुसूचित जाति</td><td>9</td><td>0</td></tr>
<tr><td>4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)</td><td>9</td><td>0</td></tr>
</table>

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	6	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	18	1					
		योग :–	**184**	**8**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**
		1.अनारक्षित	37	2					
		2.अनुसूचित जनजाति 01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)	41	2					
		3.अनुसूचित जाति	4	0					
2.	खूँटी	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0	1	1	1	1	1
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	8	0					
		योग :–	**90**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
		1.अनारक्षित	17	1					
		2.अनुसूचित जनजाति	20	1					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
3.	लोहरदगा	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0	0	1	1	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	4	0					
		योग :–	**42**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
		1.अनारक्षित	35	2					
		2.अनुसूचित जनजाति (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)	41	2					
		3.अनुसूचित जाति	2	0					
4.	गुमला	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0	1	1	1	1	1
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	8	0					
		योग :–	**86**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि		पदों की संख्या					
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
			कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
5.	सिमडेगा	**1**.अनारक्षित	25	1	1	1	1	1	0
		2.अनुसूचित जनजाति (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)	25	1					
		3.अनुसूचित जाति	4	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	5	0					
		योग :–	**59**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**
6.	पूर्वी सिंहभूम	**1**.अनारक्षित	60	3	2	2	2	1	1
		2.अनुसूचित जनजाति (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)	42	2					
		3.अनुसूचित जाति	6	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	14	1					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	12	1					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	14	1					
		योग :–	**148**	**8**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**
7.	सरायकेला–खरसावाँ	**1**.अनारक्षित	32	2	1	1	1	1	1
		2.अनुसूचित जनजाति (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)	29	1					
		3.अनुसूचित जाति	4	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	3	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	7	0					
		योग :–	**77**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
8.	पश्चिमी सिंहभूम	**1**.अनारक्षित	45	2	2	2	1	1	1
		2.अनुसूचित जनजाति (01 पद आदिम जनजाति के लिए	51	3					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि		पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण						
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		सम्मिलित)							
		3.अनुसूचित जाति	4	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10	1					
		योग :–	**110**	**6**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**
9.	पलामू	1.अनारक्षित	49	2	2	2	1	1	1
		2.अनुसूचित जनजाति	10	1					
		3.अनुसूचित जाति	32	2					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	11	1					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	7	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	12	1					
		योग :–	**121**	**7**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**
10.	लातेहार	1.अनारक्षित	20	1	0	1	1	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	14	1					
		3.अनुसूचित जाति	9	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	4	0					
		योग :–	**47**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
11.	गढ़वा	1.अनारक्षित	33	2	1	1	1	1	1
		2.अनुसूचित जनजाति	12	1					
		3.अनुसूचित जाति	19	1					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	6	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	4	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	8	0					
		योग :–	82	4	1	1	1	1	1
12.	हजारीबाग	1.अनारक्षित	39	2	1	1	1	1	1
		2.अनुसूचित जनजाति	3	0					
		3.अनुसूचित जाति	20	1					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	13	1					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	11	1					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	9	0					
		योग :–	95	5	1	1	1	1	1
13.	रामगढ़	1.अनारक्षित	40	2	1	1	1	1	1
		2.अनुसूचित जनजाति	20	1					
		3.अनुसूचित जाति	10	1					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	11	1					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	8	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10	1					
		योग :–	99	6	1	1	1	1	1
14.	कोडरमा	1.अनारक्षित	30	2	1	1	1	1	0
		2.अनुसूचित जनजाति	6	0					
		3.अनुसूचित जाति	13	1					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	10	1					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	8	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	7	0					
		योग :–	74	4	1	1	1	1	0
15.	चतरा	1.अनारक्षित	34	2	1	1	1	1	1
		2.अनुसूचित जनजाति	7	0					
		3.अनुसूचित जाति	14	1					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	11	1					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	9	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	8	0					
		योग :–	**83**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
16.	बोकारो	1.अनारक्षित	37	2					
		2.अनुसूचित जनजाति	11	1					
		3.अनुसूचित जाति	12	1					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	12	1	1	1	1	1	1
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	9	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	8	0					
		योग :–	**89**	**5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
17	दुमका	1.अनारक्षित	42	2					
		2.अनुसूचित जनजाति (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)	47	2					
		3.अनुसूचित जाति	5	0	2	2	1	1	1
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10	1					
		योग :–	**104**	**5**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**
18.	जामतड़ा	1.अनारक्षित	21	1					
		2.अनुसूचित जनजाति	16	1					
		3.अनुसूचित जाति	5	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0	1	1	1	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	4	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
			कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		योग :–	**50**	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**
19.	गिरिडीह	**1.**अनारक्षित	114	6	5	3	3	3	3
		2.अनुसूचित जनजाति (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)	34	2					
		3.अनुसूचित जाति	37	2					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	40	2					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	31	2					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	28	1					
		योग :–	**284**	**15**	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**
20.	धनबाद	**1.**अनारक्षित	37	2	1	1	1	1	1
		2.अनुसूचित जनजाति	7	0					
		3.अनुसूचित जाति	13	1					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	13	1					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	11	1					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	8	0					
		योग :–	**89**	**5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
21.	साहेबगंज	**1.**अनारक्षित	30	2	1	1	1	1	0
		2.अनुसूचित जनजाति (01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित)	28	1					
		3.अनुसूचित जाति	4	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	3	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	7	0					
		योग :–	**74**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**
22.	पाकुड़	**1.**अनारक्षित	41	2	2	2	1	1	1
		2.अनुसूचित जनजाति (01 पद आदिम जनजाति के लिए	38	2					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	कुल	पदों की संख्या					
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		सम्मिलित)							
		3.अनुसूचित जाति	5	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	4	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	3	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10	1					
		योग :–	**101**	**5**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**
23.	गोड्डा	1.अनारक्षित	37	2	1	1	1	1	1
		2.अनुसूचित जनजाति	23	1					
		3.अनुसूचित जाति	7	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	9	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	6	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	8	0					
		योग :–	**90**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
24.	देवघर	1.अनारक्षित	49	2	2	2	1	1	1
		2.अनुसूचित जनजाति	14	1					
		3.अनुसूचित जाति	15	1					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	18	1					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	13	1					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	12	1					
		योग :–	**121**	**7**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**

Scanned with OKEN Scanner

(ख) स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा–6 से 8) – गणित एवं विज्ञान

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	कुल	पदों की संख्या					
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	राँची	**1.**अनारक्षित	11	1	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	9	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2	0					
		योग :–	**25**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
2.	खूँटी	**1.**अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	5	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**11**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
3.	लोहरदगा	**1.**अनारक्षित	4	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
4.	गुमला	**1.**अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**9**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
5.	सिमडेगा	**1.**अनारक्षित	4	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
6.	पूर्वी सिंहभूम	**1.**अनारक्षित	11	1	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	7	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2	0					
		योग :–	**25**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
7.	सरायकेला–खरसावाँ	**1.**अनारक्षित	6	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	5	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**14**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
			कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
8.	पश्चिमी सिंहभूम	**1.**अनारक्षित	9	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	9	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**20**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
9.	पलामू	**1.**अनारक्षित	7	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	4	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	1	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**16**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
10.	लातेहार	**1.**अनारक्षित	4	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**7**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
11.	गढ़वा	**1.**अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	3	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा	0	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		वर्ग(अनु–II)							
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	12	0	0	1	0	0	0
12.	हजारीबाग	1.अनारक्षित	6	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	0	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	3	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	13	0	0	1	0	0	0
13.	रामगढ़	1.अनारक्षित	6	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	3	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	1	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	13	0	0	1	0	0	0
14.	कोडरमा	1.अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	1	0					
		3.अनुसूचित जाति	2	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	1	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	12	0	0	1	0	0	0
15.	चतरा	1.अनारक्षित	6	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	1	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.अनुसूचित जाति	2	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**14**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
16.	बोकारो	1.अनारक्षित	8	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	2	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**17**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
17	दुमका	1.अनारक्षित	7	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	6	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**15**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
18.	जामतड़ा	1.अनारक्षित	3	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	कुल	पदों की संख्या — कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण — महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		योग :–	**6**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
19.	गिरिडीह	1.अनारक्षित	17	1	0	1	1	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	5	0					
		3.अनुसूचित जाति	5	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	6	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	4	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	4	0					
		योग :–	**41**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
20.	धनबाद	1.अनारक्षित	7	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	2	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**16**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
21.	साहेबगंज	1.अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**9**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
22.	पाकुड़	1.अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**11**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
		1.अनारक्षित	6	0					
		2.अनुसूचित जनजाति	3	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
23.	गोड्डा	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0	0	1	0	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	1	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**13**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
		1.अनारक्षित	9	0					
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	3	0					
24.	देवघर	4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	3	0	0	1	0	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2	0					
		योग :–	**21**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

Scanned with OKEN Scanner

(ग) स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा–6 से 8) – सामाजिक विज्ञान

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	राँची	**1.**अनारक्षित	11	1	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	9	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2	0					
		योग :–	**25**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
2.	खूँटी	**1.**अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	5	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**11**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
3.	लोहरदगा	**1.**अनारक्षित	4	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
4.	गुमला	**1.**अनारक्षित	4	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	कुल	पदों की संख्या					
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
5.	सिमडेगा	**1.**अनारक्षित	4	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
6.	पूर्वी सिंहभूम	**1.**अनारक्षित	11	1	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	7	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2	0					
		योग :–	**25**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
7.	सरायकेला–खरसावाँ	**1.**अनारक्षित	6	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	5	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**14**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
8.	पश्चिमी सिंहभूम	**1.**अनारक्षित	9	0	0	1	0	0	0

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
			कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
		2.अनुसूचित जनजाति	9	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**20**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
9.	पलामू	**1.**अनारक्षित	7	0					
		2.अनुसूचित जनजाति	1	0					
		3.अनुसूचित जाति	4	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0	0	1	0	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	1	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**15**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
10.	लातेहार	**1.**अनारक्षित	3	0					
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0	0	1	0	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**6**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
11.	गढ़वा	**1.**अनारक्षित	5	0					
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	3	0	0	1	0	0	0
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	कुल	पदों की संख्या – कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण: महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**12**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
12.	हजारीबाग	1.अनारक्षित	6	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	0	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	3	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**13**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
13.	रामगढ़	1.अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	3	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	1	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**12**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
14.	कोडरमा	1.अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	1	0					
		3.अनुसूचित जाति	2	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	1	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**12**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
15.	चतरा	1.अनारक्षित	6	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	1	0					
		3.अनुसूचित जाति	2	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
			कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण नि:शक्तता	चलन नि:शक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक नि:शक्तता एवं बहु नि:शक्तता
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**14**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
16.	बोकारो	**1.**अनारक्षित	8	0					
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	2	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0	0	1	0	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**17**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
17	दुमका	**1.**अनारक्षित	7	0					
		2.अनुसूचित जनजाति	6	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0	0	1	0	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**15**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
18.	जामतड़ा	**1.**अनारक्षित	3	0					
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0	0	1	0	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**6**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
19.	गिरिडीह	**1.**अनारक्षित	17	1	0	1	1	0	0

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
		2.अनुसूचित जनजाति	5	0					
		3.अनुसूचित जाति	5	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	6	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	4	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	4	0					
		योग :–	**41**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
20.	धनबाद	1.अनारक्षित	7	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	2	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**16**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
21.	साहेबगंज	1.अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**9**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
22.	पाकुड़	1.अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि		पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण						
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	11	0	0	1	0	0	0
23.	गोड्डा	1.अनारक्षित	6	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	3	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	1	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	13	0	0	1	0	0	0
24.	देवघर	1.अनारक्षित	9	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	3	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	3	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2	0					
		योग :–	21	0	0	1	0	0	0

(घ) स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा–6 से 8) – भाषा ज्ञान

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि		पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण						
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राँची	1.अनारक्षित	11	1	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	9	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2	0					
		योग :–	**25**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
2.	खूँटी	**1.**अनारक्षित	5	0					
		2.अनुसूचित जनजाति	5	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0	0	1	0	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**11**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
3.	लोहरदगा	**1.**अनारक्षित	4	0					
		2.अनुसूचित जनजाति	3	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0	0	1	0	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**7**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
4.	गुमला	**1.**अनारक्षित	4	0					
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0	0	1	0	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
5.	सिमडेगा	**1.**अनारक्षित	4	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित	4	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		जनजाति							
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**8**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
6.	पूर्वी सिंहभूम	1.अनारक्षित	10	1	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	7	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2	0					
		योग :–	**24**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
7.	सरायकेला–खरसावाँ	1.अनारक्षित	6	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	5	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**13**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
8.	पश्चिमी सिंहभूम	1.अनारक्षित	9	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	9	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	20	0	0	1	0	0	0
9.	पलामू	1.अनारक्षित	7	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	1	0					
		3.अनुसूचित जाति	4	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	1	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	15	0	0	1	0	0	0
10.	लातेहार	1.अनारक्षित	3	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	6	0	0	1	0	0	0
11.	गढ़वा	1.अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	3	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	12	0	0	1	0	0	0
12.	हजारीबाग	1.अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	0	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					

Scanned with OKEN Scanner

<table>
<tr><th rowspan="3">क्र॰ सं॰</th><th rowspan="3">जिला का नाम</th><th rowspan="3">आरक्षण कोटि</th><th colspan="8">पदों की संख्या</th></tr>
<tr><th rowspan="2">कुल</th><th colspan="7">कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण</th></tr>
<tr><th>महिला</th><th>खेलकूद कोटा</th><th>अंधापन और कम दृष्टि</th><th>बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता</th><th>चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी</th><th>स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="3"></td><td>4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)</td><td>3</td><td>0</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>योग :–</td><td>12</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="7">13.</td><td rowspan="6">रामगढ़</td><td>1.अनारक्षित</td><td>5</td><td>0</td><td rowspan="6">0</td><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">0</td><td rowspan="6">0</td><td rowspan="6">0</td></tr>
<tr><td>2.अनुसूचित जनजाति</td><td>3</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3.अनुसूचित जाति</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>योग :–</td><td>12</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="7">14.</td><td rowspan="6">कोडरमा</td><td>1.अनारक्षित</td><td>5</td><td>0</td><td rowspan="6">0</td><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">0</td><td rowspan="6">0</td><td rowspan="6">0</td></tr>
<tr><td>2.अनुसूचित जनजाति</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3.अनुसूचित जाति</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>योग :–</td><td>12</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="7">15.</td><td rowspan="6">चतरा</td><td>1.अनारक्षित</td><td>6</td><td>0</td><td rowspan="6">0</td><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">0</td><td rowspan="6">0</td><td rowspan="6">0</td></tr>
<tr><td>2.अनुसूचित जनजाति</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3.अनुसूचित जाति</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td>योग :–</td><td>13</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	कुल	पदों की संख्या					
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	बोकारो	1.अनारक्षित	7	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	2	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**16**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
17	दुमका	1.अनारक्षित	7	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	6	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**15**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
18.	जामतड़ा	1.अनारक्षित	3	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**6**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
19.	गिरिडीह	1.अनारक्षित	17	1	0	1	1	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	5	0					
		3.अनुसूचित जाति	5	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	6	0					
		5. पिछड़ा	4	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	कुल	पदों की संख्या					
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
		वर्ग(अनु–II)							
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	3	0					
		योग :–	**40**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**
20.	धनबाद	**1.**अनारक्षित	7	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	2	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	2	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**16**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
21.	साहेबगंज	**1.**अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	0	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0					
		योग :–	**9**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
22.	पाकुड़	**1.**अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	4	0					
		3.अनुसूचित जाति	0	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	0	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**11**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
23.	गोड्डा	**1.**अनारक्षित	5	0	0	1	0	0	0
		2.अनुसूचित जनजाति	3	0					

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या						
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
			कुल	महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
		3.अनुसूचित जाति	1	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	1	0					
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	1	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0					
		योग :–	**12**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
24.	देवघर	**1.**अनारक्षित	9	0					
		2.अनुसूचित जनजाति	2	0					
		3.अनुसूचित जाति	3	0					
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु–I)	3	0	0	1	0	0	0
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु–II)	2	0					
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	2	0					
		योग :–	**21**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

- **कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।**
- **टिप्पणी**: अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञापित रिक्ति में से 2 (दो) प्रतिशत रिक्तियाँ आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। आदिम जन जाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ति अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।

4. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने तथा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

5. कंडिका–3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् हैः–

क्र॰ सं॰	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
1.	इण्टर प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा 1 से 5)	लेवल– 4 25,500/– से 81,100/–	I. **प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 के लिए) विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य**–शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता में +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में प्रशिक्षण के सत्र/वर्ष अनुरूप 50% [अथवा 45% जो दिनांक–09.12.2007 के पूर्व प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों] अंको के साथ उत्तीर्णता के अतिरिक्त विशेष शिक्षा में निम्नलिखित प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करते होः– किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में दो वर्षीय D.Ed (XIIth passed and 2 years D.Ed Special Education in any of the categories of disability) and possess a valid RCI CRR No. अथवा किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में एक– वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। (XIIth passed and 1 year Diploma in Special Education (DSE) in any of the categories of disability) and possess a valid RCI CRR No. अथवा सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) with 6 months Certificate Course in Education of Children with Special Needs.) and possess a valid RCI CRR No. अथवा सामुदायिक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR) with 6 months Certificate Course in Education of Childen with Special Needs.) and possess a valid RCI CRR No. अथवा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह का Certificate Course के साथ Multi Rehabilitation Worker (MRW) में डिप्लोमा (Diploma in Multi Rehabilitation Worker (MRW) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.) and possess a valid RCI CRR No. अथवा बहरापन दिव्यांग को पढ़ाने में कनीय डिप्लोम (Junior Diploma in

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
			Teaching the Deaf.) and possess a valid RCI CRR No. अथवा दृष्टि दोष में प्रारंभिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण। (Primary Level Teacher Training course in Visual Impairment.) and possess a valid RCI CRR No. अथवा (Diploma in Vocation Rehabilitation-Mental Retardation (DVR-MR)/Diploma in Vocational Training and Employment-Mental Retardation (DVTE-MR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.) and possess a valid RCI CRR No. अथवा (Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.) and possess a valid RCI CRR No. **एवं** **I. भारतीय पुनर्वास परिषद् से पंजीकरण।** **II. राष्ट्रीय अध्यापाक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।**
2.	स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) **गणित एवं विज्ञान शिक्षक**–निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक (विज्ञान) या विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा) (क) गणित (ख) भौतिकी (ग) रसायन शास्त्र (घ) वनस्पति विज्ञान (ङ) प्राणी विज्ञान।	लेवल– 5 29,200/–से 92,300/–	स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8 में) के लिए शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता में प्रशिक्षण सत्र/वर्ष के अनुरूप 50% [अथवा 45% जो दिनांक–29.07.2011 से पूर्व प्रारंभ स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हो] अंको के साथ संबंधित विषय में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण एवं निम्नांकित प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी– Graduate with B.Ed. (Special Education) from a RCI approved Institute and possess a valid RCI CRR No. OR B.Ed. (General) with one year Diploma in Special Education/ B.Ed. (General) with Two year Diploma in Special Education with a recognized qualification (certificate/Diploma) from a RCI approved institution
3.	स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) **समाजिक विज्ञान शिक्षक** –निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा)		

Scanned with OKEN Scanner

क्र॰ सं॰	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)
1	2	3	4
	(क) इतिहास (ख) भूगोल (ग) राजनीति विज्ञान (घ) अर्थशास्त्र (ङ) समाज शास्त्र (च) लेखा शास्त्र (छ) व्यापार अध्ययन		equivalent to B.Ed in Special Education and possess a valid CRR No. OR B.Ed. (General) with Post Graduate Professional Diploma in Special Education(PGPD)/ B.Ed. (Special)
4.	स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) भाषा शिक्षक– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा हिन्दी/ अंग्रेजी/उर्दू/ संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/ उड़िया/संस्कृत भाषा में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा) विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ स्नातक उत्तीण।		Post Graduate Professional Certificate in Special Education(PGPC)/ (PG Diplomain Special Education(Mental Retardation)/PG Diploma in Special Education (Miltiple Disability:Physical & Neurological)/ PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and cerebral Palsy)/Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment/Senior Diploma in Teaching the Deaf/BA B.Ed. in visual Impairment and possess a valid RCI CRR No.ith a recognized qualification. एवं **I. भारतीय पुनर्वास परिषद् से पंजीकरण।** **II. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।**

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–

(i) अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उतीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

(ii) **अभ्यर्थी जिस विषय/ विषय समूह एवं कोटि से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय/ विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर विशेष सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे।**

Scanned with OKEN Scanner

(iii) खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–1709, दिनांक–12.09.2007 द्वारा **श्रेणी–'ग'** के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

क्र॰सं॰	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1	2	3
1.	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
2.	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
3.	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

नोटः– उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या–1709, दिनांक–12.09.2007 आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है।

6. I. अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा– उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जायेगी :–

न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि
1	2
01.08.2025	01.08.2025

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – 21 वर्ष

(ख) अधिकतम उम्र सीमा –

(i) अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 40 वर्ष।

(ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 (पुरूष) – 42 वर्ष।

(iii) महिला [अनारक्षित, आ॰क॰व॰, अ॰पि॰व॰ (अनु॰–1) एवं पि॰व॰ (अनु॰–2))] – 43 वर्ष।

(iv) अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला) – 45 वर्ष।

(v) अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 45 वर्ष।

(ग) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पर्षद से विहित प्रपत्र **(परिशिष्ट– X)** में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्ततों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

Scanned with OKEN Scanner

(i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(घ) आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण–पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त ''ग'' या ''ङ'' में कोई एक ही मान्य होगा।

6. II. **झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, राँची के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो, को संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा।** ऐसे अभ्यर्थी जिनकी विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति के पूर्व किसी भी आरोप या अनियमितता के कारण संविदा रद्द हो गई हो उनपर यह छूट लागू नही होग। उम्र सीमा की छूट विहित प्रपत्र **(परिशिष्ट– XIII)** में निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित करने पर मान्य होगा।

7. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा

इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राईब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगीः–

(i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन निःशक्तता (दोनों हाथ प्रभावित) तथा सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निःशक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट– XI)** उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

(ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।

(iii) उपर्युक्त कंडिका–(i) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थियों द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा संबंधी अनुरोध पत्र आयोग कार्यालय में परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

8. I. परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

II. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हत्ता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर विवरणिका की कंडिका–5, 6, 7 एवं 8 में विहित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं।

9. आरक्षण :

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

10. (I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–4650, दिनांक–02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक–02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–VIII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–5752, दिनांक–19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक–19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–IX पर धारित है।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(ग) दिनांक–02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(ङ) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

(च) पिता/ पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

10. (II) <u>**जाति प्रमाण पत्र**</u>–

(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–I पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–II पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10.05.2023 द्वारा यथा सं ोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट– III पर धारित है।

(ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–IV पर धारित है। किन्तु

Scanned with OKEN Scanner

जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–V पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 के आलोक में दिनांक–25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट–VI पर धारित है।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ''आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–VII) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(घ) दिनांक–25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है।

(ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

(च) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

(छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।

(ज) शैक्षणिक कार्यों/सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

(ञ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाशा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–235, दिनांक–10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र/स्व–घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

नोटः–

(I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट–I से परिशिष्ट– IX, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगें।

(II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र में अंकित आवदेक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्त्तनी (spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्त्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें।

(IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

11. ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशः–

(i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्त्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।

(क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।

(ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।

(ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।

(ii) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा– तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

12. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करनाः–

ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।

i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेवसाईट www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for **JIGTSEATCCE-2025** को Click करें तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें।

ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगईन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।

iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग–ईन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें । आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and

Scanned with OKEN Scanner

Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12:00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉगईन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।

iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः लॉगईन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।

v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।

vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।

vii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किये गये आवेदन को वैध माना जायेगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द आवेदनों का परीक्षा भुल्क अप्रतिदेय होगा।

13. आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधनः—

दिनांक—14.01.2026 से दिनांक—15.01.2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई—मेल आई॰डी॰ एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। उपलब्ध लिंक के माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। साथ ही क्षैतिज आरक्षण अंतर्गत द्विव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को द्विव्यांग श्रेणी से अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के

Scanned with OKEN Scanner

उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

14. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :–

क्र0सं0	आवेदन समर्पित करने के स्तर	तिथि
1.	रजिस्ट्रेशन करने, सूचना दर्ज करने, परीक्षा शुल्क भुगतान करने तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने हेतु।	दिनांक–14.12.2025 से दिनांक–13.01.2026 के मध्य रात्रि तक।
2.	ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए।	दिनांक–14.01.2026 से दिनांक–15.01.2026 के मध्य रात्रि तक।

15. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रियाः–

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने **JIGTSEATCCE-2025** Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

16. परीक्षा का स्वरूप :–

आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा **(CBT)**/ओ0एम0आर0 अधारित ली जायेगी। तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहो में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :–

(क) परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी।

(ख) परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। गलत उत्तर के लिए अंको की कटौती नहीं की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

17. मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम :–

(क) इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रमः– मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 03 पत्र होंगे। यह परीक्षा तीन पालियों में ली जायेगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर +2/इण्टर स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :–

पत्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
पत्र–1	माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक **(अर्हक प्रवृति)** (हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत)	100	100	2:00 घंटे
पत्र–2	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा – हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा) /हो/ खड़िया/ कुडूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से कोई एक भाषा	100	100	2:00 घंटे
पत्र–3	(i) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी –50 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष एवं समावेशी शिक्षा को संदर्भ में दिव्यांगतावार)–50	100	100	3:00 घंटे
	(ii) सामाजिक विज्ञान–	50	50	
	(iii) विज्ञान एवं गणित–	50	50	
कुल		300+ 100 (अर्हक प्रवृति)	300+ 100 (अर्हक प्रवृति)	

नोटः– पत्र–1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेघा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

पाठ्यक्रम :–

क) पत्र–1 के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे।

ख) पत्र–2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट–XII पर धारित है। इस विषय (शिक्षक पात्रता नियमावली में अधिसूचित जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा में से कोई एक भाषा) में 33 प्रतिशत लाना अनिवार्य है।

ग) पत्र–3 के खण्ड (i) में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 17 (घ) (i से vi) तथा पत्र–3 के खण्ड (ii) एवं (iii) में अंकित विषय के अन्तर्गत झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा

Scanned with OKEN Scanner

1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसके कठिनाई का स्तर +2/इण्टरमीडिएट होगा। तीनों खण्डों में अंकित विषयों में प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत लाना अनिवार्य है।

घ) **सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी :–**

(i) **सामान्य अध्ययनः–**

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जातीा है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षिय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ii) **सामान्य विज्ञानः–**

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(iii) **सामान्य गणितः–**

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(iv) **मानसिक क्षमता जाँचः–**

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं –सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(v) **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञानः–**

Scanned with OKEN Scanner

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम॰एस॰ विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम॰एस॰ ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(vi) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञानः–

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्त्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इत्यादि।

17. (ख) स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रमः– मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 04 पत्र होंगे। यह परीक्षा चार पालियों में ली जायेगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :–

पत्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
पत्र–1	माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक **(अर्हक प्रवृति)** (हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / संस्कृत)	100	100	2:00 घंटे
पत्र–2	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा अधिसूचित भाषा – हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / संथाली / बंगला / मुण्डारी (मुण्डा) / हो / खड़िया / कुडूख (उरांव) / कुरमाली / खोरठा / नागपुरी / पंचपरगनिया / उड़िया / संस्कृत में से कोई एक भाषा।	100	100	2:00 घंटे
पत्र–3	सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी–50 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष एवं समावेशी शिक्षा को संदर्भ में दिव्यांगतावार)–50	100	100	2:00 घंटे
पत्र–4	वैकल्पिक विषय (कोई एक)–			
(I)	गणित एवं विज्ञान शिक्षक–(i) गणित (ii) भौतिकी (iii) रसायनशास्त्र (iv) वनस्पति विज्ञान तथा (v) प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र पाँच खण्डों में विभक्त होगा (अभ्यर्थी किसी तीन खण्ड से ही उत्तर दे सकेंगे) **नोटः–उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।**	180	180	3:00 घंटे
(II)	सामाजिक विज्ञान शिक्षक–(i) इतिहास (ii) भूगोल (iii) राजनीति विज्ञान (iv) अर्थशास्त्र (v) समाज शास्त्र (vi) लेखा शास्त्र (vii) व्यापार शास्त्र अध्ययन (Business Studies) में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र सात खण्डों में विभक्त होगा जिसमें किसी तीन खण्डों को ही	180	180	

Scanned with OKEN Scanner

पत्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
	उत्तर देना होगा। **नोटः– उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।**			
(III)	भाषा शिक्षक– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या–1427, दिनांक–10.03.2023 द्वारा अधिसूचित भाषा –हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50% प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाऐंगे। **नोटः–उक्त विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।**	180	180	
कुल		380+ 100 **(अर्हक प्रवृति)**	380+ 100 **(अर्हक प्रवृति)**	

नोटः– पत्र–1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

पाठ्यक्रम :–

क) पत्र–1 के अन्तर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेंगे।

ख) पत्र–2 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट–XIII पर धारित है।

ग) पत्र–3 का पाठ्यक्रम इण्डटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के समरूप होगा, किन्तु प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा।

घ) पत्र–4 का पाठ्यक्रम परिशिष्ट–XIV पर धारित है।

ङ) पत्र–4 के अन्तर्गत भाशा विषयों का पाठ्यक्रम परिशिष्ट–XIII के अनुरूप होगा।

Scanned with OKEN Scanner

18. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

(i) माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जाँच की जायेगी। इसका प्राप्तांक मेघा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

(ii) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक/ जाति प्रमाण/स्थानीय प्रमाण/अनुभव प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

(iv) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो वरीयता का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची, झारखण्ड सरकार द्वारा तय मापदण्डों के अनुरूप की जायेगी।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(iv) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगाः–

(i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 40 (चालीस) प्रतिशत

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला– 32 (बत्तीस) प्रतिशत

(iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –(अनुसूची–1) – 34 (चौंतीस) प्रतिशत

(iv) पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 – 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत

(v) आदिम जनजाति – 30 (तीस) प्रतिशत

(v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा–सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित होगी।

(vi) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(vii) परीक्षा के प्रश्न गलत प्रिटिंग होने की स्थिति में उक्त प्रश्न को रद्द करने अथवा सभी उपस्थित अभ्यर्थियों को समान अंक प्रदान करने का फैसला आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

19. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका–18 के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता/ अहर्त्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरूद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

20. नियुक्तिः–

(i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

21. अन्यान्यः–

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 तथा Jharkhand Competitive Examination (Prevention and redressal of unfair means in Recruitment) Act -2023 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

2. प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में किसी प्रश्न के गलत होने/किसी प्रश्न के सभी विकल्प गलत होने/किसी प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही होने/प्रश्न के हिंदी एवं अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता आदि की स्थिति में प्रश्न को रद्द करने अथवा सभी उपस्थित अभ्यर्थियों को उक्त प्रश्न के विरूद्ध समान अंक प्रदान करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

3. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टयों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Scanned with OKEN Scanner

4. विवरणिका में प्रावधानित वांछित शैक्षणिक अहर्त्ता/स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र/निःशक्तता प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

5. झारखण्ड इन्टरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2025 अन्तर्गत अनुशंसा/नियुक्तियाँ Civil Appeal No.8259/2019 (Arising out of SLP (C) No. 11254 of 2019) Govt. of NCT Delhi & Ors. Vs Pradeep Kumar & Ors. से आच्छादित है।

6. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार के पत्रांक–2171, दिनांक–27.11.2025 के साथ प्रेषित माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–17.11.2025 को सी0एम0पी0 संख्या–984/2025 मामलें में पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड इन्टरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2025 की विवरणिका प्रकाशित की जाती है।

7. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक द्वाराः–

(i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,

(ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,

(iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :–

(क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :–

(i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।

(ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।

Scanned with OKEN Scanner

(iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना एवं आवेदन समर्पित करने की पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं करना।

(iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।

(v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।

(vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो।इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

(ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

(x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

(xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 (पाँच सौ रूपये) शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।

(xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

(xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।

(xv) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो।

Scanned with OKEN Scanner

उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाए। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक द्वारा अलग से भेजा नहीं जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

(xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।

(xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति एवं परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में हो सकती है।

(xx) अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम एवं स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा।

(xxi) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, प्रमाण–पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

ह॰/–

परीक्षा नियंत्रक।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–(I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि. –19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–.................................. तिथिः–............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला ....डाकघर........................... थाना .... जिला .... राज्य.............................. अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत.................................... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा...................................., शहर.............................., जिला..........................., राज्य................. में निवास करते हैं।

स्थान :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....

दिनांक :–

पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

————————

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/जा॰नि॰–03–13/2015/का॰ 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म

(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता श्री.......................... ..../पति श्री .... (विवाहित महिला के मामले में) पता–ग्राम/वार्ड/शहर.. पो0...................................थाना.................................. जिला/प्रमंडल....................................राज्य/संघशासित प्रदेश ...., झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीन ....जाति के सदस्य हैं तथा .... धर्म को मानने वाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमण्डल .... में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झाखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्त्तन होने तक वैद्य होगा।

<u>टिप्पणी</u>

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा– 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व–घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट हैः–

  i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्त्ता/ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमण्डल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

  ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेन 1950 (अनुसूचित जानजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान : ....

दिनांक :.................................. हस्ताक्षर ....

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट (III)

संशोधित

भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....,
पिता .... ग्राम/नगर ....,
जिला/प्रमंडल ...., राज्य/संघशासित प्रदेश ....,
निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन .... जाति/जनजाति के सदस्य हैं:–

* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
* संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951

(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्व क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)

* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
* संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 195 द्वारा यथासंशोधित
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
* संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
* संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
* संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
* संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
* संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
* संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
* संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परि सामान्य रूप से .... राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर .... जिला/प्रमंडल .... में निवास करते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :

i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)

ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।

iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।

iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान ....

तिथि ....

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :–   सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक :–   पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

पदनाम ....   कार्यालय के सील सहित

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–(V)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व–घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

मैं .... पिता .... पति/पत्नी .... निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर .... पोस्ट .... थाना .... अंचल .... जिला .... राज्य .... एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं .... समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360112/22/93 स्था० (एस०सी०टी०)/ झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या .... दिनांक .... में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/ नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला .... अंचल .... के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या .... दिनांक .... निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रूपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनूसूची के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व–घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्त्ता) का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–(VI)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–14/जा॰नि॰–03–13/2015/का॰ 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं0 :–   दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता श्री............... ..../पति श्री .... (विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर.................................. जिला/प्रमंडल.......................................राज्य/संघशासित प्रदेश .... जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड रिक्तियों और पदो के लिए आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची–I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये .... धर्म को माननेवाले हैं।

2. .... तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/ नगर .... जिला/प्रमण्डल .... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93–स्था॰ (एस॰ई॰टी॰) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक–10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93–स्था॰ (एस॰ई॰टी॰) दिनांक 08.09.1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदन तथा उसकी/ उसके माता–पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैद्य होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या–15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैद्यता स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान : ....

दिनांक :...................................   हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

कार्यालय के सील सहित

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–(VII)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. …………………………….. Date ………………….

Valid for the Year ………………

This is certify that Shri/Smt./ Kumari …………………………………… son/daughter/wife of …………………………………….. permanent resident of ……………………………………. village/street ……………………………….. post office …………………………… District …………………….. in the State/Union Territory Economically Weaker Section, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ……………………….. His/Her family does not own or possess any of the following assets***.

I. 5 acres of agricultural land and above;

II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ………………………………………………………….. belongs to the ……………….. caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-I/BC-II.

Recent Passport size attested Photograph of the applicant

Signature with seal of office …………..

Name ……………………………………….

Designation ……………………………….

*Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–(VIII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/स्थानीयता.नीति–14–03/2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री.. पता–ग्राम/वार्ड/शहर.. पो0......................................थाना.................................... जिला...................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं

पदनाम

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–(IX)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 5752 दिनांक– 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक–19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं॰ :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री.... .... पता–ग्राम/वार्ड/शहर... पो0......................... ....थाना..................................... जिला...................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान : ....

दिनांक :...................................

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–(X)

संस्थान / अस्पताल का नाम और पता अनुबन्ध–1

प्रमाण पत्र संख्या.................................... तारीख..

नि:शक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की नि:शक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी...

........सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री...आयु..लिंग....................

.............पहचान चिन्ह..निम्नलिखित श्रेणी

की स्थायी नि:शक्तता से ग्रस्त–

क. गति विषयक (लोकोमीटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनो टांगे (बी॰एल॰) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बाहें (बी॰ए॰) – दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी॰एल॰ए॰) – दोनों टांगे और बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ॰एल॰) – एक टांग प्रभावित (दायां बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ॰ए॰) एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी॰एच॰)– पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एन॰डब्ल्यू॰) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

(i) बी॰– अंधापन

(ii) पी॰ बी॰– आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी॰– बधिर

(ii) पी॰ डी॰– आंशिक रूप से बधिर
(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है / गैर प्रगामी है / इसमें सुधार होने की संभावना है / इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती।.............................वर्षों.. महिनों की अवधि के पश्चात पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत...है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी...अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पुरा करते/करती हैः–

(i) एफ – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ii) पी॰ पी॰– धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(iv) के॰ सी॰– घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(v) बी –झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(vii) एस॰ टी॰– खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(viii) डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(ix) एस॰ई॰– देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(x) एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं
(xi) आर॰ डब्ल्यू – पढ़ने ओर लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हाँ/नहीं

(डॉ0...)	(डॉ0..)	(डॉ0..)
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड।	चिकित्सा बोर्ड।	चिकित्सा बोर्ड।

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षारित।
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट (XI)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या.................................... तारीख..

लिखने में अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री..आयु..लिंग.................................. पहचान चिन्ह...स्थायी पता .... का परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। जाँचोपरांत पाया गया कि इनकी शारीरिक अक्षमता इनके लिखने की प्रक्रिया को अवरूद्ध करती है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

नोट– **प्रमाण पत्र संबंधित दिव्यांगता के चिकित्सक द्वारा ही निर्गत किया जाय।**
(उदाहरण – अंधापन और कम दृष्टि – चक्षु विशेषज्ञ)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–(XII)

झारखण्ड इन्टरमीडिएट & स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2025

श्रुतलेखक/स्क्राइब की उपलब्धता हेतु आवेदन प्रपत्रः–

पासपोर्ट साईज
स्व अभिप्रमाणित
फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम...
2. निबंधन/आवेदन संख्या– 3. अभ्यर्थी की जन्म तिथि–
4. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत–
5. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम–
6. अभ्यर्थी का पता–...

....

7. उपलब्ध कराए जाने वाले श्रुतलेखक/स्क्राइब की भाषा– हिन्दी/अंग्रेजी

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना पूर्णतः सही है। उक्त घोषणा के गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द कर दी जाय।

अनुलग्नकः– 1. निःशक्तता प्रमाण पत्र/लिखने में अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र।

2. समर्पित ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–(XIII)

झारखण्ड शिक्षा परियोजना
जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी.......................................
का कार्यालय

पत्रांकः–............ **दिनांकः–...............................**

समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत समावेशी शिक्षा रिसोर्स पर्सन का अनुभव प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी..ग्राम.. पोस्ट...थाना...प्रखंड... जिला..के निवासी है। इनकी शैक्षणिक योग्यता..................................है। ये समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत समावेशी शिक्षा पर्सन के रूप में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (जो लागू न हो उसे काट दें) विद्यालय के लिए दिनांक...से कार्यरत है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

जिला...
मोहर सहित

Scanned with OKEN Scanner